Details OF SCHOOL AFFILIATED TO

Central Board of Secondary Education

Details Of The School Filled up AFFILIATION/OASIS

Name of Institution	MAR THOMA GRAM JYOTI ENGLISH MEDIUM SCHOOL
Affiliation Number	1030229
State	MADHYA PRADESH
District	JABALPUR
Postal Address	KHITOLA SIHORE DISTT JABALPUR MADHYA PRADESH
Pin Code	482335
Phone No. with STD Code	7624
Office	230104 , 231575
Residence	27674227
FAX No	0712-2667586
Email	marthoma.sr.sec.school@gmail.com
Website	
Year of Foundation	2000
Date of First Opening of School	7/3/2000 12:00:00 AM
Name of Principal/ Head of Institution	KIRTI SINGH
Sex	Female
Principal's Educational/Professional Qualifications:	m.sc. m.ed.
No of Experience (in Years):	
Administrative:	03
Teaching:	14
Status of The School	Senior Secondary
Type of affiliation	General
Affiliation Period	
From	1/4/2019
To	31/ 3/ 2024
Name of Trust/ Society/ Managing Committee	MAR THOMA GRAM JYOTI EDU & DEV SOC

Activate Window
Go to Settings to activ

प्ररूप सात

(नियम 11 देखिए)

मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (क्र. 44 सन् 1973) की धारा के अधीन शासी निकाय की सूची के जानकारी प्रस्तुत करने के लिए प्ररूप।

1. सोसायटी का नाम और पूरा पता – Mar Thoma Gram Jyoti Education & Development Society, Mar Thoma Parsonage, Indira Gandhi Marg, 5 Civil Lines, Jabalpur M.P. 482001

2. रजिस्ट्रीकरण क्रमांक तथा तारीख – JJ-3170 dt 4.2.97

3. साधारण निकाय के वार्षिक सम्मिलन की तारीख – 12-03-2021

4. विद्यमान पदाधिकारियों की सूची – कार्यकाल तारीख 01.04.21 से तारीख 31.03.2024 तक

अनु क्रमांक	नाम	पिता / पति का नाम	पता	धारित पद	मुख्य व्यवसाय	हस्ताक्षर
(1)	Rev. P.M. Mathew	ZACHARIAH	C.P. ASHRAM DARSANI P.O. SIHORA	President	Social Servic	
(2)	Rev Mathew K. Chandy	CHANDY	C.P. ASHRAM DARSHANI PO SIHORA	Vice President	"	
(3)	M.V. Rajan	S/o Late Varghese Pappy	H.No. 19 Azadchowk Rampur, Jabalpur	Secretary	Retired	
(4)	Sr. T.K. Mariamma	GEORGE	C.P. ASHRAM SIHORA	JT. Secretary	Social Servic	
(5)	Varghese George	V.V. George	Bilhari Jabalpur	Trustee	Retired	
(6)	Rev. Shibu George	GEORGE	C.P. ASHRAM DARSHANI - P.O. SIHORA, 483225	Member	Social Servic	
(7)	Sr. Salamma Mathew	Mathew	C.P. Ashram Sihora P.O.	"	"	
(8)	Mr Varghese George (W)	Late K.C George	LIG B706 Dhanvantari Nagar	Governing body member	Retd	
(9)	Mr T.M. Philipose	Late T.T. Thomas	Abhilasha 135 E&E Vihar, Jabalpur	Governing body member	Pensioner	
(10)	Dr. Suma K. Mathew	W/o S.K. Mathew	54, Sahakar Nagar Rampur, Jbp	member	Teaching	
(11)	Mr. K.T. Samuel	Late K.K. Thomas	E-1, Prestige Home South Civil Line, JBP	"	Pension	
(12)	Mr. K.C. Cherian	Late K.C. Cherian	House No. - 513 Bilhari - Po, Jabalpur P- 482020	"	Pensioner	
(13)						
(14)						

5. मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (क्र. 44 सन् 1973) की धारा 27 के अधीन 3040/- रु. की वार्षिक फीस चालान SBIY00061514751603202118632 दिनांक 16/3/21 के द्वारा जमा कर दी गई है, उसकी मूल प्रति संलग्न है।

घोषणा

मैं M.V. Rajan पुत्र / पुत्री / पत्नी Late Shri V. Pappy आयु लगभग 76 वर्ष एक प्राधिकृत अधिकारी के रूप में एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त जानकारी सोसायटी अभिलेख पर आधारित होने से तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य है। सोसायटी के अभिलेख मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता प्राधिकृत अधिकारी के आधिपत्य में है। मैं यह जानता हूँ कि यदि मेरे द्वारा कोई असत्य जानकारी दी जाती है तो मैं उक्त अधिनियम की धारा 38 उपधारा (2) के अधीन दण्ड का दायी हो सकूंगा।

17/3/2021

अध्यक्ष / सचिव

M.V. RAJAN

मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल – 462004
= = = = = = = = = = = = = =

क्रमांक – एफ 73-43 /20-3/2004 भोपाल, दिनांक – 21 /07- 2004.

प्रति,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
प्रीत विहार– नई दिल्ली ।

विषय :- अशासकीय-मारथोमा ग्राम ज्योति स्कूल-खितौला सिहोरा, जबलपुर, म0प्र0, को सी. बी. एस. ई. / आई. सी. एस. ई. से सम्बद्धता हेतु एन.ओ.सी. देने बाबत् ।

== 00 ==

राज्य शासन द्वारा अशासकीय मारथोमा ग्राम ज्योति स्कूल-खितौला सिहोरा, जबलपुर, को सी. बी. एस. ई. / आई. सी. एस. ई. नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण – पत्र विशेष प्रकरण मानकर निम्नलिखित शर्तों पर दिया जाता है :-

01. संस्था को अपनी कार्य समिति में एक प्रतिनिधि जिला शिक्षा अधिकारी को स्वयं को या उनके प्रतिनिधि को शामिल करना होगा तथा दूसरे प्रतिनिधि के रूप में माध्यमिक शिक्षा मण्डल के पंजीयक (परीक्षा) को या उनके प्रतिनिधि को शामिल करना अनिवार्य है ।

02. नीतिगत निर्णयों में इन दोनों मनोनीत सदस्यों को आमंत्रित करना होगा ।

03. मध्यप्रदेश शासन द्वारा शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए लिये गये निर्णयों में यदि संस्था से किन्हीं कार्यों की अपेक्षा की जाती है तो ऐसे कार्यों को संस्था को करना होगा ।

04. खेलकूद गतिविधियों में यदि संस्था चाहे तो सदस्यता ग्रहण कर सकता है । परन्तु ऐसा न होने पर भी यदि मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को इनके किसी परिसर या भवन की आवश्यकता पड़ती है तो उपलब्ध कराना होगा ।

निरन्तर 2 पर.........

05. राष्ट्रीय कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए यदि संस्था या भवन या स्टाफ की सेवाओं की आवश्यकता होगी, तो उन्हें उपलब्ध कराना होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

[signature]

(आर.आर.अहिरवार)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक एफ 73- 43 /20-3/2004 भोपाल, दिनांक 21 /07-2004

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, लोक शिक्षण, म0प्र0 भोपाल ।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला - जबलपुर (म0प्र0) ।
3. प्राचार्य, अशा0-आस्थोमा ग्राम ज्योति स्कूल-सितौला सिहोरा, जबलपुर, म0प्र0
4. आर्डर बुक ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है ।

[signature] 21/7/04
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

//भाटनकर//
03.07.04

कार्यालय, जिला परियोजना समन्वयक

जिला शिक्षा केन्द्र, जबलपुर

आवेदन क्रमांक: 166320 **आवेदन का प्रकार : नवीनीकरण मान्यता** **मान्यता दिनांक - 23/03/2023**

प्रति,

अध्यक्ष,

Marthoma Gram Jyoti Education And Development Society

Marthoma Gram Jyoti English Meduim School

SIHORA, जबलपुर , मध्यप्रदेश

विषयः- **निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन स्कूल के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।**

महोदय / महोदया,

आपके आवेदन पत्र दिनांक **16/02/2023** तथा इस संबंध में स्कूल से पश्चात्वर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के संदर्भ में, मैं आपके **- Marthoma Gram Jyoti English Meduim School** स्कूल आईडी -PS**102793** विकासखंड-**SIHORA** को स्कूल का प्रकार **प्राथमिक सह माध्यमिक,** शिक्षण का माध्यम **अंग्रेजी** कक्षा **प्री प्राइमरी-नर्सरी से आठवीं** तक के लिए दिनांक **01/04/2023** से **31/03/2026** तक कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करता हूँ।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो की पूर्ति के अध्यधीन होगी :-

1. मान्यता विस्तारित नहीं होगी तथा कक्षा 8 से आगे की मान्यता की कोई बाध्यता किसी भी रूप में विवक्षित नहीं होगी।
2. स्कूल निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबंधों का पालन करेगा।
3. स्कूल, अपने पड़ोस की सीमा के वंचित समूह तथा कमजोर वर्ग के बालकों को स्कूल की प्रथम प्रवेशित कक्षा में 25 प्रतिशत प्रवेश देगा। उस दशा में, स्कूल यदि सहायता प्राप्त स्कूल है तो इसमे प्रवेशित बालकों को उस अनुपात में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा देगा जिस रूप में उसके वार्षिक आवर्ती व्यय को पूरा करने हेतु इस प्रकार वार्षिक आवर्ती सहायता या अनुदान प्राप्त होता है।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए स्कूल को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए स्कूल को पृथक् से बैंक खाता उपलब्ध कराना होगा।
5. सोसाइटी/स्कूल कोई भी कैपिटेशन फीस का संग्रह नहीं करेगा तथा बालक या उसके पालक या अभिभावक के साथ किसी छानबीन प्रक्रिया को नहीं अपनाएगा।
6. स्कूल किसी भी बालक को प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा-
   (क) आयु के सबूत के आभाव में ;
   (ख) यदि प्रवेश के लिए विहित की गई विस्तारित कालावधि के पश्चयात ऐसा प्रवेश चाहा गया है;
   (ग) धर्म, जाति या मूलवंश, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर |
7. स्कूल सुनिश्चित करेगा कि –
   (क) प्रायमरी स्कूल में किसी प्रवेशित बालक को स्कूल में प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक निष्कासित नही किया जाएगा।
   (ख) प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक को कक्षा 5 एवं 8 को छोड़कर अन्य कक्षाओं में बाधा रहित कक्षोन्नति प्रदान की जायेगी।
   (ग) किसी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक रूप से प्रताडित नहीं किया जाएगा;
   (घ) नियम 19 के अधीन प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा।
   (ड.) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार दिव्यांग/विशेष आव’यकता वाले बालकों को समाहित किया जाएगा;
   (च) अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन निर्धारित योग्यता अनुसार शिक्षक ही कार्यरत रखे जाये। स्कूल में अधिनियम की धारा 19 एवं 25 में उल्लेखित मापदंड़ों के पूर्ति करते हुये मान्यता अवधि तक शिक्षको की नियुक्ति की व्यवस्था बनाए रखी जायेगी।
   (छ) शिक्षको को अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट उसके कर्तव्यों का पालन करना होगा;
   (ज) प्रायवेट शिक्षण की गतिविधियों में शिक्षक स्वयं भाग नहीं लेंगे/लेंगी।

(झ) भारत की राष्ट्रीय भवन संहिता भाग-4 के अधीन विर्निदिष्ट सन्नियमों के अनुरूप अग्नि सुरक्षा की व्यवस्था स्थापित हो।

(ञ) प्रतिवर्ष बच्चों से प्रभारित की जाने वाली फीस ऐसी रीति में अधिसूचित की जाए जो आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने के पूर्व निर्देशित की जाए तथा इसकी सूचना शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने के पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी को भी दी जाए। मध्यप्रदेश निजी विधालय विनियमन बोर्ड के नियमों के अनुसार ही फीस में बढोत्तरि की जा सकती है।

8. स्कूल समुचित प्राधिकारी व्दारा निर्धारित पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।

9. स्कूल अधिनियम की धारा 19 में विहित किए अनुसार स्कूल में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपात में बालकों का नामांकन करेगा।

10. स्कूल द्वारा अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट स्कूल के मानक एवं मापदण्ड बनाए रखे जाएंगे। अंतिम निरीक्षण के समय स्कूल में उपलब्ध सुविधाएं निम्नानुसार पाई गयीं-

1. स्कूल के भवन की स्थिति	**स्वयं का भवन**
2. स्कूल परिसर का क्षेत्रफल	**140624**
3. कुल निर्मित क्षेत्रफल	**26108**
4. खेल मैदान का क्षेत्रफल	**114513**
5. कक्षाओं के कमरों की संख्या	**29**
6. प्रधानाध्यापक कक्ष-सह-कार्यालय-सह-स्टोर कक्ष	**4**
7. लड़कों और लड़कियों के लिए पृथक् प्रसाधन	**हाँ**
8. स्वच्छ पेयजल सुविधा	**हाँ**
9. मध्यान्ह भोजन के लिए रसोई घर	**1**
10. बाधा रहित प्रवेश की सुविधा	**हाँ**
11. पठन-पाठन सामग्री	**हाँ**
12. खेल एवं खेलकूद उपकरण	**हाँ**
13. पुस्तकालय की उपलब्धता	**हाँ**
14. शिक्षको की संख्या	**25**

11. लेखे संपरीक्षित किए जाएंगे तथा चार्टड एकाउन्टेंट व्दारा सत्यापित होंगे और उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार होगा। प्रत्येक लेखाओं के विवरणों की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला परियोजना समन्वयकको भेजी जाएगी।

12. आपके स्कूल को आवंटित मान्यता कोड नम्बर **102793** है। इस कार्यालय के साथ कसिी भी पत्राचार में यह कोड नम्बर संदर्भति कएि जाएं।

13. स्कूल ऐसी रिपोर्ट और जानकारी प्रस्तुत करेगा, जो स्कूल शिक्षा विभाग/राज्य शिक्षा केन्द्र/जिला शिक्षा केन्द्र व्दारा समय-समय पर अपेक्षित की जाए, और स्कूल राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशो का पालन करेगा, जैसा कि स्कूल के संचालन की कमियों को दूर करने के लिए अथवा मान्यता की शर्तो की निरन्तर पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु जारी किए जाएं।

14. यदि कोई शाला उसके छात्रों को वाहन की सुविधा उपलब्ध कराती है तो उसे सुनिश्चित करना होगा कि वाहन हेतु सरकार द्वारा यथा विहित सुरक्षा सन्नियमों का पालन हो रहा है। शाला को स्कूल बसों में महिला कंडक्टर की उपलब्धता के संबंध में समय-समय पर परिवहन विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना होगा।

15. सोसायटी/न्यास, के पंजीयन का नवीकरण किया जाएगा।

16. अधिनियम एवं नियम के उपबंधों और मान्यता की शर्तो का उल्लंघन पाए जाने तथा सिद्ध हो जाने पर मान्यता वापस ले ली जाएगी।

भवदीय.

जिला परियोजना समन्वयक

जिला शिक्षा केंद्र

* मान्यता प्रमाण पत्र जिला परियोजना समन्वयक द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित है, भौतिक हस्ताक्षर की कोई आवश्यकता नहीं है|